दिनांक 06.11.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना तीतरों पुलिस द्वारा हत्या की घटना का सफल अनावरण करते हुए 01 हत्यारोपी वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

घटना का विवरण:- दिनांक 29.10.2026 को थाना तीतरों क्षेत्र के ग्राम माधोपुर में सूचना प्राप्त हुई थी कि एक महिला अपने घर पर मृत अवस्था पड़ी मिली है। इस सूचना पर थाना तीतरों पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुँचकर मृतका के शव को कब्जे में लेकर मौके पर फील्ड यूनिट के माध्यम से आवश्यक साक्ष्य संकलन करते हुए शव का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था। इसी क्रम मे वादी श्री रामफल पुत्र बृजपाल निवासी ग्राम माधोपुर थाना तीतरों जिला सहारनपुर की लिखित तहरीर के आधार पर थाना तीतरों पर मु0अ0सं0 146/2026 धारा 103(1) बीएनएस के पंजीकृत कराया गया था।

पुलिस कार्यवाही:- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल हत्या की घटना का संज्ञान लेकर घटना के शीघ्र व सफल अनावरण व अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु आदेश-निर्देश दिए गये थे। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण मे तथा थानाध्यक्ष तीतरों श्री सचिन पूनिया के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 06.11.2026 मुखबिर की सूचना पर थाना तीतरों पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में हत्या की घटना का खुलासा करते हुए साक्ष्य संकलन कर विवेचना से प्रकाश में आये **01 हत्यारोपी वांछित अभियुक्त रोहित उर्फ बुद्धू पुत्र मांगेराम निवासी ग्राम माधोपुर थाना तीतरों जिला सहारनपुर** को **नानौता-तीतरों मार्ग से** गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

रोहित उर्फ बुद्धू पुत्र मांगेराम निवासी ग्राम माधोपुर थाना तीतरों जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. थानाध्यक्ष श्री सचिन पूनिया थाना तीतरों जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री राजेन्द्र सिंह थाना तीतरों जनपद सहारनपुर
3. हे0का0 1035 सचिन लाकडा थाना तीतरों जनपद सहारनपुर
4. का0 1820 अंकित मान थाना तीतरों जनपद सहारनपुर
5. का0 1354 अभिषेक खोखर थाना तीतरों जनपद सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांक- 06.11.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना चिलकाना पुलिस द्वारा यातायात माह के दृष्टिगत चेकिंग के दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 15 वाहनों के विरूद्ध चालानी कार्यवाही करते हुए 07 मोटरसाइकिलों को किया गया सीज

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में यातायात माह के अन्तर्गत यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित कराने एवं नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरूद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार प्रभावी चेकिंग की जा रही है, बिना नम्बर प्लेट, प्रेशर हार्न लगाकर वाहन चलाने व बिना सीट बेल्ट के वाहन चलाने वालो के विरूद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक यातायात, पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी चिलकाना श्री अक्षय शर्मा के कुशल नेतृत्व मे थाना चिलकाना पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान यातायात नियमों का उलंघन करने वाले 15 वाहनों के विरूद्ध चालानी कार्यवाही की गई। साथ ही आवश्यक वाहन संबंधी प्रपत्र उपलब्ध न होने एवं नियमानुसार कार्रवाई के आधार पर 07 मोटरसाइकिलों को धारा 207 एमवी एक्ट के अंतर्गत सीज किया गया।

सीज किए गए वाहन

- *01 मोटर साइकिल (डिस्कवर रजिस्ट्रेशन न0- UP11 AX 6716)*
- *01 मोटर साइकिल (हीरो होन्डा रजिस्ट्रेशन नं0 - UP11AZ 9148)*
- *01 मोटर साइकिल (स्पलैण्डर चैचिस नं0- 03H20F17243)*
- *01 मोटर साइकिल (हीरो रजिस्ट्रेशन नं0- UP11 DK 8761)*
- *01 मोटर साइकिल (प्लेटिना रजिस्ट्रेशन नं0-UP11BM 5448)*
- *01 मोटर साइकिल (बुलट रजिस्ट्रेशन नं0- HR 02 AV 9742)*
- *01 मोटर साइकिल (स्पलैण्डर रजिस्ट्रेशन नं0- UP 11DK 1742)*

पुलिस टीम-

1. *थाना प्रभारी श्री अक्षय शर्मा थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर*
2. *व0उ0नि0 श्री राजकुमार चौहान थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर*
3. *उ0नि0 श्री रवि कुमार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर*
4. *उ0नि0 श्री विकास तोमर थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर*
5. *है0का0 799 मोहित शर्मा थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर*
6. *का0 1700 दीपक कुमार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर*

-प्रेस नोट-

दिनांक 06.11.2026

सहारनपुर यातायात पुलिस जनपद सहारनपुर

–: पुलिस प्रबन्धन एडवाईजरी:–

आमजन तथा सभी ट्रांसपोर्टस को सूचित किया जाता है कि आगामी त्यौहार धनतेरस एवं दीपावली के दौरान शहर क्षेत्र में स्थानीय निवासियों का आवागमन काफी अधिक संख्या में रहता है, जिसके दृष्टिगत शहर में यातायात के सुगम संचालन हेतु दिनांक 06.11.2026 से दिनांक 08.11.2026 तक यातायात योजना/एडवाईजरी लागू की जाती है।

- शहर क्षेत्र में भारी वाहनों के लिये नो एन्ट्री को दिनांक 06.11.2026 से 08.11.2026 तक प्रातः 06:00 बजे से 24:00 तक लागू किया जाता है। उक्त अवधि में शहर क्षेत्र में समस्त प्रकार (आवश्यक सामग्री वाले वाहनों को छोड़कर) के भारी वाहनों के आवागमन को पूर्णतः प्रतिबंध किया जाता है।
- आगामी त्योहारों में भीड़–भाड़ एवं सुरक्षा के दृष्टिगत शहर क्षेत्र के निम्न मुख्य बाजार(थाना क्षेत्र कोतवाली नगर, मण्डी, कुतुबशेर तथा सदर बाजार) में ई–रिक्शा तथा चार पहिया वाहनों का आवागमन पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगा।

  क्रमशः

  1–दीनानाथ बाजार,
  2–सर्राफा बाजार,
  3–हलवाई अट्टा,
  4–लोहानी सराय
  5–श्रीराम चौक(नेहरू मार्किट) से जोगियान पुल
  6–नख्खाशा बाजार
- यातायात के सुगम संचालन हेतु शहर के निर्धारित प्वाईन्टस पर यातायात पुलिस बल की डयूटी लगायी जायेगी:–

क्र0सं0	स्थान	लगाया गया यातायात पुलिस बल	
		यातायात उपनिरीक्षक	मुख्य आरक्षी/आरक्षी
1	घंटाघर चौक	3	6
2	दिल्ली रोड हसनपुर चौक	2	4
3	कोर्ट रोड पुल	1	2
4	श्रीराम चौक	1	2
5	जोगियान पुल	1	2
6	सब्जी मण्डी पुल	1	2
7	मछली पुल	1	2
8	सर्राफा बाजार	1	2
9	विश्वकर्मा चौक	1	4
10	देहरादून चौक	1	4
11	अम्बेडकर चौक	1	4
12	नवाबंगज चौक	1	2
13	अग्रसेन चौक	1	2

➢ आगामी त्योहारों में भीड़–भाड़ एवं सुरक्षा के दृष्टिगत शहर क्षेत्र के निम्न स्थानों पर आतिशबाजी दुकानें स्थित की जायेगी, जिसमें सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत थाना पुलिस बल की डयूटी लगायी जायेगी।

क्षेत्र	चयनित स्थल	थाना	दुकानों की संख्या
नगर सहारनपुर	egkjkt fl|g dkyst dk eSnku ekfgiqjk	जनकपुरी	45
	जे0वी0 कालेज का मेदान मल्हीपुर रोड़	सदर बाजार	36
	जी0आई0सी0 ग्राउण्ड बेहट रोड़	कोतवाली नगर	26
	सर्किट हाउस के सामने खाली मैदान	कुतुबशेर	37
	आई0टी0आई0 दिल्ली रोड़ का खाली मैदान	सदर बाजार	25
तहसील सहारनपुर	रामलीला मैदान पैठ बाजार कस्बा सुल्तानपुर चिलकाना	चिलकाना	6
	पशु पैठ मैदान थाना परिसर के पीछे कस्बा गागलहेड़ी	गागलहेड़ी	20
तहसील नकुड़	तहसील नकुड़ शिव मन्दिर के पास खाली मैदान कस्बा सरसावा	सरसावा	25
	होली चोक के खाली मैदान कस्बा नकुड़	नकुड़	20
	अम्बेहटा पुलिस चौकी सामने खाली मैदान कस्बा अम्बेहटा	नकुड़	10
	ककराली सरोवर कस्बा गंगोह	गंगोह	35
तहसील बेहट	रूड़की रोड़ मुख्य मार्ग से 200 मी0 अन्दर खाली मैदान श्याम विहार कालोनी रूड़की रोड़ फतेहपुर	फतेहपुर	30
	उत्तम पेलेस के निकट खाली मैदान शाकुम्बरी देवी मार्ग कस्बा बेहट	बेहट	15
	मिलेनियम कालेज ग्राउण्ड पेंचो रिजोर्ट से आगे कस्बा बिहारीगढ़	बिहारीगढ	20
तहसील रामपुर मनि0	पीठ बाजार बड़गावं	बड़गावं	20
	किसान सेवक इण्टर कालेज का मैदान नानौता	नानौता	35
	ईस्माईल नगर बाईपास कस्बा रामपुर मनि0	रामपुर मनि0	25
तहसील देवबंद	श्री त्रिपुरा मां बाला सुन्दरी मेला प्रांगण देबवंद	देबवंद	50
	शाकुम्बरी काम्पलेक्स भाटखेड़ी रोड़ नांगल	नांगल	25

सभी आमजन तथा सभी ट्रांसपोर्टस से अपील की जाती है कि यातायात नियमों का पालन करें।

"आपकी सुरक्षा हमारा दायित्व"

पुलिस अधीक्षक, यातायात
जनपद सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांक- 05.11.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना नकुड पुलिस द्वारा विगत 10 माह से एनडीपीएस एक्ट के मुकदमें में फरार चल रहे 25 हजार रूपये के ईनामी वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि ***श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र, सहारनपुर*** *द्वारा मादक पदार्थों / नशे के अवैध कारोबार, प्रतिबंन्धित दवाओं की तस्करी / बिक्री पर प्रभावी रोकथाम के लिए ठोस एवं समन्वित कार्यवाही हेतु परिक्षेत्र सहारनपुर के तीनो जनपदो में* ***"ऑपरेशन सवेरा" – "नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर"*** *अभियान चलाया जा रहा है।*

इसी क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी/ईनामिया अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक नकुड़ श्री ज्ञानेश्वर बौद्ध के कुशल नेतृत्व में दिनांक 05.11.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना नकुड़ पुलिस टीम द्वारा चेकिंग व गश्त के दौरान ***एनडीपीएस एक्ट के मुकदमें में फरार चल रहे 25 हजार रूपये के ईनामी वांछित अभियुक्त लुकमान उर्फ लुक्का पुत्र दिल्ला निवासी ग्राम बसेडा थाना कैराना जनपद शामली*** *को अम्बेहटा-गंगोह रोड़ तिराहा से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त थाना नकुड़ पर पंजीकृत मु0अ0सं0 27/2026 धारा 8/21/26 एनडीपीएस एक्ट के मुकदमें फरार चल रहा था, जिस पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा 25 हजार रूपये का ईनाम घोषित किया गया था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

1. लुकमान उर्फ लुक्का पुत्र दिल्ला निवासी ग्राम बसेडा थाना कैराना जनपद शामली।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

1. *प्र0नि0 श्री ज्ञानेश्वर बौद्ध थाना नकुड सहारनपुर*
2. *उ0नि0 श्री अजीत सिंह थाना नकुड सहारनपुर*
3. *है0का0 1112 विनय थाना नकुड सहारनपुर*
4. *है0का0 258 अजीत मलिक थाना नकुड सहारनपुर।*

-प्रेस नोट-

दिनांक 06.11.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना मण्डी, सहारनपुर पुलिस द्वारा चेकिंग व दबिश के दौरान 01 NBW वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी/शातिर अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक मण्डी श्री वीरेन्द्र सिह राणा के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 06.11.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली मण्डी पुलिस टीम द्वारा चेकिंग व दबिश के दौरान ***01 NBW वारण्टी अभियुक्त जीशान पुत्र इरशाद निवासी कमेला कालोनी निकट अल्लाह वाली मस्जिद थाना मण्डी जनपद सहारनपुर*** *को सम्बन्धित मु0अ0सं0 557/2019 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट (मा0 न्यायालय) नियत तिथि – 21-11-2026 में कमेला कालोनी से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है*

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

जीशान पुत्र इरशाद निवासी कमेला कालोनी निकट अल्लाह वाली मस्जिद थाना मण्डी जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 श्री प्रतापदत्त शर्मा थाना कोतवाली मण्डी सहारनपुर

2. का0 1600 मनोज आर्य थाना कोतवाली मण्डी सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांकः-06.11.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली मण्डी, सहारनपुर पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास के मुकदमे में 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

घटना का विवरणः- दिनांक 19.08.2026 को वादी साहिल पुत्र सराफत निवासी जैन बाग थाना मण्डी, सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्त आमिर पुत्र महताब निवासी मौहम्मद नगर निकट फैसल मस्जिद खाताखेडी थाना मण्डी जनपद सहारनपुर व उसके साथियो द्वारा वादी के पैसे ने देने व पैसे मांगने पर धारदार हथियारो जान से मारने की नियत से एक राय होकर हमला करना व जान से मारने की धमकी देने सम्बन्ध में थाना मण्डी पर मु0अ0सं0 430/26 धारा 109(1)/352/118(1)/3(5)/333/351(3) बीएनएस पंजीकृत किया गया था।

पुलिस कार्यवाहीः- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी/शातिर अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं सहायक पुलिस अधीक्षक/ क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री वीरेन्द्र सिंह राणा के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 06.11.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली मण्डी पुलिस टीम द्वारा चेकिंग व गश्त के दौरान उपरोक्त मुकदमें में **वांछित अभियुक्त आमिर पुत्र महताब निवासी मौहम्मद नगर निकट फैसल मस्जिद खाताखेडी थाना मण्डी जनपद सहारनपुर** को खाताखेड़ी से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

आमिर पुत्र महताब निवासी मौहम्मद नगर निकट फैसल मस्जिद खाताखेडी थाना मण्डी जनपद सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. प्रभारी निरीक्षक श्री वीरेन्द्र सिंह राणा थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री शहरोज आलम थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
3. है0का0 237 योगेन्द्र कुमार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
4. म0का0 1680 चित्रा थाना मण्डी जनपद सहारनपुर

दिनांक 06.11.2026

-प्रेस नोट-

"ऑपरेशन सवेरा"

"नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर"

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना मण्डी पुलिस द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले 01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, अभियुक्त के कब्जे से 510 ग्राम अवैध चरस बरामद

अवगत कराना है कि श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र, सहारनपुर द्वारा मादक पदार्थों/नशे के अवैध कारोबार, प्रतिबंन्धित दवाओं की तस्करी/बिक्री पर प्रभावी रोकथाम के लिए ठोस एवं समन्वित कार्यवाही हेतु परिक्षेत्र सहारनपुर के तीनो जनपदो में "ऑपरेशन सवेरा" – "नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर" अभियान चलाया जा रहा है।

इसी क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन मे, पुलिस अधीक्षक नगर एवं सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम नगर के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री वीरेन्द्र सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 06.11.2026 को थाना मण्डी पुलिस टीम द्वारा चैकिंग व गश्त के दौरान ***01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त मुस्तकीम उर्फ बाटा पुत्र अब्दुल वहीद निवासी नया घास कांटा हुसैन बस्ती थाना मण्डी सहारनपुर*** *को बाबालालदास आश्रम के बाडे के पास से गिरफ्तार किया गया। कब्जे से 510 ग्राम अवैध चरस बरामद हुई। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध थाना मण्डी पर मु0अ0सं0 555/2026 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के पंजीकृत किया गया। अभियुक्त द्वारा मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के संबंध में FORWARD AND BACKWARD लिंको की जाँच की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किये जा रहा है।*

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

मुस्तकीम उर्फ बाटा पुत्र अब्दुल वहीद निवासी नया घास कांटा हुसैन बस्ती थाना मण्डी सहारनपुर

बरामदगी का विवरण-

❖ *510 ग्राम अवैध चरस*

अपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0सं0 004/2011 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट,379 भादवि थाना कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 344/2013 धारा 398/401 भादवि थाना कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर
3. मु0अ0सं0 106/2020 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर
4. मु0अ0स0 069/2024 धारा 60/63 आबकारी अधि0 थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर
5. मु0अ0सं0 115/2021 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर

6. मु0अ0सं0 505/2024 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर

7. मु0अ0सं0 161/2024 धारा ¾ दहेज अधि0,323/354/498ए/504/506 भादवि व ¾ मुस्लिम विवाह अधि0 थाना कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर

8. मु0अ0सं0 146/2026 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. *प्रभारी निरीक्षक श्री वीरेन्द्र सिंह थाना मण्डी जनपद सहारनपुर*
2. *उ0नि0 श्री सुधीर कुमार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर*
3. *उ0नि0 अय्यूब अली थाना कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर*
4. *है0का0 09 महबूब अली थाना मण्डी जनपद सहारनपुर*
5. *है0का0 848 कपिल थाना मण्डी जनपद सहारनपुर*

-प्रेस नोट-

दिनांक- 06.11.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना चिलकाना पुलिस द्वारा चेकिंग व दबिश के दौरान 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी/शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी चिलकाना श्री अक्षय शर्मा के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 06.11.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना चिलकाना पुलिस टीम द्वारा चेकिंग व दबिश के दौरान **01 वारण्टी अभियुक्त इकराम पुत्र शब्बीर निवासी ग्राम मौ0 जाकिर हुसैन थाना चिलकाना जनपद सहारपुर को** सम्बन्धित वाद सं0 373/1983 धारा 399/402 भादवि थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर व सेक्सन ऑफिसर क्रमिनल अपील सेक्सन 1981/1985 माननीय उच्च न्यायलय के पत्र 54671 दिनांक 29.10.2026 के क्रमिनल अपील सं0 1178/1985 व लेटर नं0 54671 नियत तिथि 16.11.2026 में मोहल्ला जाकिर हुसैन से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

इकराम पुत्र शब्बीर निवासी ग्राम मौ0 जाकिर हुसैन थाना चिलकाना जनपद सहारपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का विवरण-

1. उ0नि0 श्री सुखबीर सिंह थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।
2. है0का0 799 मोहित शर्मा थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।
3. का0 2228 हरिभान सिंह थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।
4. का0 1805 नितिन शर्मा थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर
5. का0 215 सुमित कुमार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर

दिनांक- 06.11.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना बिहारीगढ, सहारनपुर पुलिस द्वारा चेकिंग व दबिश के दौरान 01 वारंटी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण मे तथा थानाध्यक्ष बिहारीगढ़ श्री धर्मेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 06.11.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना बिहारीगढ पुलिस द्वारा चेकिंग व दबिश के दौरान ***01 वारंटी अभियुक्त ललित पुत्र धर्मपाल निवासी ग्राम सुन्दरपुर थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर*** *को सम्बन्धित मु0अ0सं0 557/2019 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट (मा0 न्यायालय) नियत तिथि – 21-11-2026 में ग्राम सुन्दरपुर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है*

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

ललित पुत्र धर्मपाल निवासी ग्राम सुन्दरपुर थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. थानाध्यक्ष श्री धर्मेन्द्र कुमार थाना बिहारीगढ सहारनपुर
2. उनि00 श्री पवन कुमार थाना बिहारीगढ सहारनपुर
3. हैका0 774 अभिमन्यू0 थाना बिहारीगढ सहारनपुर
3. का0 रोमित 524 थाना बिहारीगढ सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांकः 06.11.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना नकुड़ पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास के मुकदमे में फरार चल रहे 01 वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

घटना का विवरणः – दिनांक 24.04.2026 को वादी श्री प्रमोद कुमार पुत्र स्वः सौरन निवासी ग्राम बहादरपुर थाना नकुड जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अज्ञात व्यक्तियों द्वारा वादी के पुत्र दिपांशु व उसके दोस्त रिंकु का रास्ता रोककर गाली- गलौच करते हुए मारपीट करना व जान से मारने की नीयत से फायर करना व जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में थाना नकुड़ पर मु0अ0सं0 225/26 धारा 126(2),352,115(2),109(1),351(3) बीएनएस पंजीकृत कराया गया था । जिसमें सीसीटीवी फुटेज आदि साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्त आशु कुमार पुत्र विजयपाल नि0 ग्राम लालवाला थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर का नाम प्रकाश में आया व धारा 3(5) बीएनएस की बढौत्तरी की गयी।

पुलिस कार्यवाहीः – वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी/शातिर अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है । इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक नकुड़ श्री ज्ञानेश्वर बौद्ध के कुशल नेतृत्व में दिनांक 05.11.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना नकुड़ पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में विवेचना से प्रकाश में आये **वांछित अभियुक्त आशु कुमार पुत्र विजयपाल निवासी ग्राम लालवाला थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर** को ग्राम लालवाला से गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

आशु कुमार पुत्र विजयपाल निवासी ग्राम लालवाला थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर ।

आपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0सं0 302/22 धारा 147,148,149,307,323 भादवि थाना झबरेड़ा जिला हरिद्वार
2. मु0अ0सं0 314/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना झबरेडा जिला हरिद्वार
3. मु0अ0सं0 301/22 धारा 34,395,412,506 भादवि थाना झबरेडा जिला हरिद्वार
4. मु0अ0सं0 655/22 धारा 2/3 यूपी गैंगस्टर एवं एन्टी सोशल एक्टीविटी एक्ट थाना झबरेडा जिला हरिद्वार
5. मु0अ0सं0 517/21 धारा 147, 148, 149, 307, 504 थाना को0देहात स0पुर
6. मु0अ0सं0 389/22 धारा 147, 148, 149, 307 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना रामपुर मनि0 स0पुर
7. मु0अ0सं0 247/23 धारा 307, 34, 506 भादवि थाना रामपुर मनि0 स0पुर
8. मु0अ0सं0 146/24 धारा 307 भादवि व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना रामपुर मनि0 स0पुर
9. मु0अ0सं0 211/23 धारा 120-B,147,148,149,307,386 भादवि व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना भोपा, मुजफ्फरनगर
10. मु0अ0सं0 238/24 धारा 147, 148, 149, 307, 34, 452 भादवि व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना देवबन्द स0पुर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री ज्ञानेश्वर बौद्ध थाना नकुड़ सहारनपुर,
2. उ0नि0 श्री प्रमोद कुमार थाना नकुड सहारनपुर ,
3. का0 1997 विनीत चौधरी थाना नकुड सहारनपुर,
4. म0का0 1690 डोली थाना नकुड सहारनपुर ।

-प्रेस नोट-

दिनांक –06.11.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना रामपुर मनिहारान, सहारनपुर पुलिस द्वारा चेकिंग व दबिश के दौरान 01 NBW वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन मे अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक रामपुर मनिहारान श्री सुनील नागर के कुशल नेतृत्व मे आज दिनांक 06.11.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना रामपुर मनिहारान पुलिस द्वारा चेकिंग व दबिश के दौरान ***01 वारण्टी अभियुक्त राजेन्द्र पुत्र हरदेव सिंह निवासी मौहल्ला इकराम कस्बा व थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर*** *को सम्बन्धित वाद 1999/2018 व मु0अ0स0 490/18 धारा 135 भादवि (मा0 न्यायालय अपर जिला एवम् सत्र न्यायाधिश कक्ष संख्या-04 सहारनपुर) में मौहल्ला इकराम कस्बा रामपुर मनिहारान से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

राजेन्द्र पुत्र हरदेव सिंह निवासी मौहल्ला इकराम कस्बा व थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर

अपराधिक इतिहास राजेन्द्र-

मु0अ0स0-282/2009 धारा 308/323/504/506 भादवि थाना रामपुर मनिहारान स0पुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. उ0नि0 श्री ललित कुमार थाना रामपुर मनिहारान सहारनपुर

2. का0 1069 अंकित थाना रामपुर मनिहारान सहारनपुर

दिनांकः 06.11.2026

-प्रेस नोट-

ऑपरेशन सवेरा

"नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर"

सहारनपुर पुलिस की नशा तस्करों के विरूद्ध कडी कार्यवाही

थाना रामपुर मनिहारान पुलिस द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले 01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 41 ग्राम अवैध स्मैक बरामद

*अवगत कराना है कि श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र, सहारनपुर द्वारा मादक पदार्थों / नशे के अवैध कारोबार, प्रतिबंन्धित दवाओं की तस्करी / बिक्री पर प्रभावी रोकथाम के लिए ठोस एवं समन्वित कार्यवाही हेतु परिक्षेत्र सहारनपुर के तीनो जनपदो में **"ऑपरेशन सवेरा"** – "नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर" अभियान चलाया जा रहा है।*

*इसी क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन मे नशीलें पदार्थों की तस्करी की रोकथाम व नशे के कारोबार मे शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान **"ऑपरेशन सवेरा""** के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी के नकुड के पर्यवेक्षण मे प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील नागर के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 06.11.2026 में मुखबिर की सूचना पर थाना रामपुर मनिहारान सहारनपुर पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान **01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त समरयाब उर्फ साहिल पुत्र गय्यूर निवासी ग्राम तुरमतखेडी थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर** को तुर्मतखेडी से गिरफ्तार किया गया। कब्जे से 41 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुई। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध थाना रामपुर मनिहारान पर मु0अ0सं0 359/26 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट के पंजीकृत किया गया। अभियुक्त द्वारा मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के संबंध में FORWARD AND BACKWARD लिंको की जाँच की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पताः-

समरयाब उर्फ साहिल पुत्र गय्यूर निवासी ग्राम तुरमतखेडी थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण-

- *41 ग्राम अवैध स्मैक*

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 श्री पुष्पेन्द्र चौधरी थाना रामपुर मनिहारान सहारनपुर
2. का0 1459 विकास तोमर थाना रामपुर मनिहारान सहारनपुर
3. का0 1906 अशोक कुमार थाना रामपुर मनिहारान सहारनपुर

दिनांक –06.11.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना रामपुर मनिहारान, सहारनपुर पुलिस द्वारा पोक्सो एक्ट के मुकदमे में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

घटना का विवरण– *दिनांक 04.11.2026 को वादी की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्त सोनू पुत्र राजेन्द्र निवासी ग्राम चान्दनपुर थाना रामपुर मनिहारान जिला सहारनपुर द्वारा वादी की मन्दबुद्धि पुत्री को घर से ले जाना व उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म करना व परिजनो को धमकी देने के सम्बन्ध मे थाना रामपुर मनिहारान पर मु0अ0स0 0356/2026 धारा 137(2)/65(1)/351(2)/3(5) बीएनएस व 5K/6 पोक्सो एक्ट के पंजीकृत कराया गया था।*

पुलिस कार्यवाही *- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,सहारनपुर के निर्देशन मे अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम मे पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील नागर के कुशल नेतृत्व मे आज दिनांक 06.11.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना रामपुर मनिहारान पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में पोक्सो एक्ट के मुकदमें में* ***वांछित अभियुक्त सोनू पुत्र राजेन्द्र निवासी ग्राम चान्दनपुर थाना रामपुर मनिहारान जिला सहारनपुर*** *को ग्राम चान्दनपुर वाली सड़क से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

सोनू पुत्र राजेन्द्र निवासी ग्राम चान्दनपुर थाना रामपुर मनिहारान जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. निरीक्षक श्री गिरिशचन्द थाना रामपुर मनि0 सहारनपुर

2. का0 1907 गौतम सिंह थाना रामपुर मनि0 सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांकः 06.11.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा चेकिंग व दबिश के दौरान 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियंत्रण व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री एच.एन. सिह के कुशल नेतृत्व में दिनांक 05.11.2026 को चैकिग / गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा चेकिंग व दबिश के दौरान ***01 वारण्टी अभियुक्त मेहरून पुत्र कुल्लु तेली निवासी ग्राम सूमली थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर*** *को सम्बंधित वाद सं0 6004/2026 धारा 385/411 भादवि चालानी थाना कोतवाली देहात में* ***ग्राम सूमली से*** *गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार वारंटी अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

गिरफ्तार अभियुक्तगण के नाम व पताः-

मेहरून पुत्र कुल्लु तेली निवासी ग्राम सूमली थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. *उ0नि0 श्री प्रेमपाल सिंह थाना कोतवाली देहात जनपद सरहारनपुर।*
2. *है0का0 241 कपिल कुमार थाना को0देहात जनपद सहारनपुर।*
3. *है0का0 736 दीपक नागर थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर।*

-प्रेस नोट-

दिनांकः 06.11.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना सरसावा, सहारनपुर पुलिस द्वारा चेकिंग व दबिश के दौरान 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार सघन चैकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष थाना सरसावा श्री प्रवेश कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 05.11.2026 को थाना सरसावा पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त जीशान पुत्र यासीन निवासी ग्राम हुसैनपुर थाना सरसावा सहारनपुर सम्बन्धित वाद संख्या 8022/2022 मु0अ0स0 113/2013 धारा 379/411 भादवि थाना बेहट सहारनपुर को मशकन से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त को समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जायेगा।

गिरफ्तार वारन्टी अभियुक्त का नाम पता:-

जीशान पुत्र यासीन निवासी ग्राम हुसैनपुर थाना सरसावा सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:

1- श्री प्रवेश कुमार थानाध्यक्ष थाना सरसावा स0पुर।
2- उ0नि0 श्री अजय कुमार थाना सरसावा स0पुर।
3- रि0का0 2529 शीलचंद थाना सरसावा,स0पुर।
4- रि0का0 2576 अरविन्द कुमार थाना सरसावा स0पुर।
5- रि0का0 2330 सचिन कुमार थाना सरसावा स0पुर।

-प्रेस नोट-

दिनांकः 06.11.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नानौता पुलिस द्वारा दुष्कर्म के मुकदमें में वाँछित 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वादिया द्वारा थाना उपस्थित आकर एक लिखित तहरीर बाबत अभि0 शौकीन पुत्र यासीन नि0 मौ0 अफगानान कस्बा व थाना नानौता जनपद सहारनपुर द्वारा वादिया को रेलवे स्टेशन नानौता छोडने की कहने पर रेलवे स्टेशन नानौता न छोडकर सुनसान जगह पर ले जाकर वादिया के साथ जबरदस्ती बलात्कार करने के संबंध में थाना नानौता पर मु0अ0सं0 मु0अ0सं0 276/26 धारा 64(1) बी.एन.एस. पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु दिशा-निर्देश दिये गये, जिनके क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री विकास चारण के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 06.11.2026 को थाना नानौता पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वाछिंत अभियुक्त ***शौकिन पुत्र यासीन निवासी मौ0 अफगानान कस्बा व थाना नानौताज जनपद सहारनपुर*** *को हिमामपुर नहर पुल के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियोग में दौराने विवेचना धारा 351(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। अभियुक्त को विरुद्ध विधिक कार्यवाही हेतु हुए मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

शौकीन पुत्र यासीन निवासी मौ0 अफगानान कस्बा व थाना नानौता जनपद सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. *थाना प्रभारी श्री विकास चारण थाना नानौता जनपद सहारनपुर।*
2. *उ0नि0 श्री जसपाल सिंह थाना नानौता जनपद सहारनपुर।*
3. *है0का0 954 रविन्द्र कुमार थाना नानौता जनपद सहारनपुर।*
4. *रि0का0 1723 अरुण कुमार थाना नानौता जनपद सहारनपुर।*

दिनांक 06.11.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कुतुबशेर, सहारनपुर पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान 01 शराब तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 06 बोतल अवैध देशी शराब (हरियाणा मार्का) बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अवैध रूप से शराब तस्करी/बिक्री की रोकथाम व नशे के कारोबार में लिप्त शातिर अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक कुतुबशेर श्री सन्तोष कुमार त्यागी के कुशल नेतृत्व में दिनांक 06.11.2026 को थाना कुतुबशेर पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान 01 शराब तस्कर **इरफान पुत्र मन्जुर निवासी नदीम कालोनी थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर** को उत्तर रेलवे कल्ब सहारनपुर से 50 मीटर पहले वाले खडंजा के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 06 बोतल देशी शराब रसीला संतरा मसालेदार हरियाणा मार्का बरामद हुई । बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध थाना कुतुबशेर पर मु0अ0सं0 522/2026 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

इरफान पुत्र मन्जुर निवासी नदीम कालोनी थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर को उत्तर रेलवे कल्ब सहारनपुर ।

बरामदगी का विवरण:-

- 06 बोतल अवैध देशी शराब (हरियाणा मार्का)

आपराधिक इतिहास अभियुक्त:-

1. मु0अ0स0 - 109/26 धारा 4/25 आर्मस एक्ट थाना कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नाम:-

1. प्र0नि0 श्री सन्तोष कुमार त्यागी थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर ।
2. उ0नि0 अमित कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर ।
3. है0का0 388 कपिल कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर ।
4. का0 1405 रुम सिंह थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर ।

दिनांक 06.11.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कुतुबशेर, सहारनपुर पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान 01 शराब तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 08 बोतल देशी शराब हरियाणा मार्का रसीला सन्तरा मसालेदार बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अवैध रूप से शराब तस्करी/बिक्री की रोकथाम व नशे के कारोबार में लिप्त शातिर अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक कुतुबशेर श्री सन्तोष कुमार त्यागी के कुशल नेतृत्व में दिनांक 04.11.2026 को थाना कुतुबशेर पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान **01 शराब** तस्कर **फरमान उर्फ बच्चु पुत्र अनवार निवासी अक्सा मस्जिद मानकमऊ थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर** को मानकमऊ नहर पटरी से ईदगाह रोड की ओर जाने वाले रास्त के मोड पर से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 08 बोतल देशी शराब माल्टा रसीला मसालेदार हरियाणा मार्का बरामद हुई। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध थाना कुतुबशेर पर मु0अ0सं0 520/2026 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

फरमान उर्फ बच्चु पुत्र अनवार निवासी अक्सा मस्जिद मानकमऊ थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण:-

- 08 बोतल अवैध देशी शराब (हरियाणा मार्का)

आपराधिक इतिहास अभियुक्त:-

1. मु0अ0स0 - 567/25 धारा 60 ex act थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
2. मु0अ0स0 - 520/26 धारा 60/63 ex act थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नाम:-

1. प्र0नि0 श्री सन्तोष कुमार त्यागी थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री कुलवन्त सिह मलिक थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
3. का0 1913 राजन थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
4. का0 234 अरूण थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
5. का0 2547 अजय कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांकः 06.11.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नानौता, सहारनपुर पुलिस द्वारा चैकिंग व दबिश के दौरान 01 वारंटी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियंत्रण एवं आपराधिक घटनाओं की रोकथाम व वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण मे तथा थानाध्यक्ष श्री विकास चारण के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 06.11.2026 को थाना नानौता पुलिस टीम द्वारा 01 वारन्टी अभि0 **रिन्टू पुत्र मलखान निवासी ग्राम ढाकादेई थाना नानौता जनपद सहारनपुर** को संबंधित वाद सं0 18/27 धारा 138 एन.आई एक्ट चलानी थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर में ग्राम ढाकादेई से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त को विधिक कार्यवाही हेतु माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

रिन्टू पुत्र मलखान निवासी ग्राम ढाकादेई थाना नानौता जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. थानाध्यक्ष श्री विकास चारण थाना नानौता जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री नरेश कुमार थाना नानौता जनपद सहारनपुर
3. रि0का0 1741 सोविन्द्र थाना नानौता जनपद सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांक 06.11.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना सरसावा पुलिस टीम द्वारा चोरी की घटनाओं का सफल अनावरण करते हुए 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे/निशानदेही पर 01 गले का सेट, 02 कडे, 02 कान के टॉपस, 01 अगूठी, 01 माथे का टीका (पीली धातू), 01 जोडी चुटकी (सफेद धातु), 01 जोडी पाजेब (सफेद धातु) व 10 सिक्के (सफेद धातु) व 01 अन्य मुकदमें में चोरी गया 01 मोबाइल फोन बरामद

घटनाओ का विवरणः-

1. **दिनांक 23.09.2026** को वादी राकेश सैनी पुत्र सुमैर चन्द सैनी निवासी शान्ति धाम के सामने कस्बा व थाना सरसावा सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अज्ञात चोर द्वारा वादी के घर से सोने व चांदी जेवर व पैसे चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध मे मु0अ0स0 313/2026 धारा 305(a) बी0एन0एस0 पंजीकृत कराया गया।
2. **दिनांक 11.09.2026** को वादी प्रदीप पुत्र परशुराम निवासी राधिका बिहार कालोनी अम्बाला रोड कस्बा व थाना सरसावा सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अज्ञात चोर द्वारा वादी के घर से सोने व चांदी जेवर चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध मे मु0अ0स0 304/2026 धारा 305(a) बी0एन0एस0 पंजीकृत कराया गया।

पुलिस कार्यवाहीः-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में चोरी/नकबजनी/लूट आदि घटनाओं की रोकथाम व इन घटनाओं में लिप्त शातिर अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चैकिंग व गश्त की जा रही है। अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी श्री प्रवेश कुमार शर्मा के कुशल नेतृत्व में दिनांक 05.11.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना सरसावा पुलिस द्वारा उपरोक्त मुकदमो में चोरी की घटनाओं का सफल अनावरण करते हुए विवेचना से प्रकाश में आये **01 वांछित अभियुक्त बन्टी उर्फ अशवद पुत्र खुशनूद निवासी नजरीपुरा थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर** को कलरी रोड से गिरफ्तार किया गया। कब्जे/निशानदेही पर 01 गले का सेट पीली धातू, 02 कडे पीली धातू, 02 टॉपस पीली धातू, 01 अगूठी पीली धातू, 01 माथे का टीका पीली धातू व 01 जोडी चुटकी सफेद धातु, 01 जोडी पाजेब सफेद धातु, 10 सिक्के सफेद धातु व अन्य चोरी के मुकदमें में चोरी गया 01 मोबाइल फोन सैमसंग कम्पनी बरामद हुए। बरामदगी के आधार पर उपरोक्त मुकदमों में धारा 3(5)/317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। गिरफ्तार अभियुक्त एक शातिर किस्म का अभ्यस्त अपराधी है, जिसके विरूद्ध करीब आधा दर्जन मुकदमें दर्ज है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरण- अभियुक्त बंटी उर्फ अशवद ने पूछताछ में बताया कि करीब दो माह पूर्व उसने अपने 02 साथियों के साथ सरसावा हाईवे कट के पास टायर पंचर की दुकान वाले के घर चोरी की थी। उक्त चोरी का मोबाइल एक साथी ने उसके हिस्से के ₹5,000 के बदले उसे दिया था तथा शेष जेवर मेरे साथियों के पास हैं। इसके अतिरिक्त अभियुक्त ने बताया कि करीब दो माह पूर्व उसने अपने साथी व उसके एक दोस्त के साथ शांति धाम रोड स्थित एक बंद मकान में चोरी की थी। उक्त घटना में मेरा व उसका दोस्त मकान में घुसकर एक बैग में जेवरात लेकर आए थे,

जबकि वह बाहर खड़े होकर निगरानी कर रहा था। चोरी के जेवर फीका ने उसे दिए थे, जिन्हें बिना बिल के कोई खरीदने को तैयार नहीं हुआ। आज वह जेवर बेचने जा रहा था,

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

बन्टी उर्फ अशवद पुत्र खुशनूद निवासी नजरीपुरा थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण:-

- *01 गले का सेट (पीली धातू)* ***(मु0अ0सं0 313/2026 धारा 305(ए)3(5)/317(2) बीएनएस थाना सरसावा)***
- *02 कडे (पीली धातू)* ***(मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित)***
- *02 टाँपस(पीली धातू)* ***(मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित)***
- *01 अगूठी (पीली धातू)* ***(मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित)***
- *01 माथे का टीका (पीली धातू)* ***(मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित)***
- *01 जोडी चुटकी (सफेद धातु)* ***(मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित)***
- *01 जोडी पाजेब(सफेद धातु)* ***(मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित)***
- *10 सिक्के (सफेद धातु)* ***(मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित)***
- *01 मोबाइल फोन* ***(सम्बन्धित मु0अ0सं0 304/26 धारा 305(ए)/3(5)/317(2) बीएनएस थाना सरसावा)***

आपराधिक इतिहास

1. *मु0अ0सं0 359/21 धारा 379/411 भादवि थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर*
2. *मु0अस0सं0 361/21 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर*
3. *मु0अ0सं0 119/25 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर*
4. *मु0अ0सं0 302/22 धारा 379, 411, 414 भादवि थाना कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर*
5. *मु0अ0सं0 304/2026 धारा 305(a)/3(5)/317(2) बी0एन0एस0 थाना सरसावा जनपद सहारनपुर*
6. *मु0अ0स0 313/2026 धारा 305(ए)3(5)/317(2) बीएनएस थाना सरसावा जनपद सहारनपुर*

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1- थानाध्यक्ष श्री प्रवेश कुमार थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
2- उ0नि0 श्री रविन्द्र कसाना थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
3- का0 2431 दीपक कुमार थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
4- का0 2520 भूपेन्द्र सिंह थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
5- का0 2599 सुधीर कुमार थाना सरसावा जनपद सहारनपुर

दिनांक 04-11-2026

-प्रेस नोट-

सहारनपुर यातायात पुलिस जनपद सहारनपुर

सहारनपुर शहर को जाममुक्त बनाने एवं अतिक्रमण हटाने के लिए यातायात पुलिस व नगर निगम की संयुक्त कार्यवाही, 76 वाहनों के चालान

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन एवं पुलिस अधीक्षक यातायात के निकट पर्यवेक्षण में जनपद में यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने तथा शहर क्षेत्र में जाम की समस्या के प्रभावी निराकरण हेतु निरंतर अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में आज प्रभारी निरीक्षक यातायात श्री अमित तोमर द्वारा यातायात पुलिस टीम एवं नगर निगम के अतिक्रमण दस्ते के साथ शहर के प्रमुख बाजारों एवं व्यस्त मार्गों पर संयुक्त रूप से पैदल गश्त एवं अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया।

अभियान के दौरान घंटाघर चौक, नेहरू मार्केट, श्रीराम चौक तथा जोगियान पुल की ओर जाने वाले मार्गों पर यातायात बाधित करने वाले अवैध अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही की गई। इस दौरान सड़क एवं फुटपाथ पर यातायात में बाधा उत्पन्न करने वाले रेहड़ी-ठेले, खोखे आदि को हटवाया गया। साथ ही मार्ग पर गलत तरीके से खड़े वाहनों के विरुद्ध चालानी कार्यवाही करते हुए कुल 76 वाहनों के चालान किए गए। इस दौरान बाजार के दुकानदारों एवं व्यापारियों से अपील की गई कि वे अपनी दुकानों के सामने सड़क एवं फुटपाथ पर किसी प्रकार का अतिक्रमण न करें तथा यातायात व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस एवं प्रशासन का सहयोग करें।

सहारनपुर पुलिस द्वारा आमजन की सुविधा, सुगम यातायात एवं शहर को जाममुक्त बनाने के उद्देश्य से अतिक्रमण के विरुद्ध यह अभियान निरंतर जारी रहेगा।

"आपकी सुरक्षा हमारा दायित्व"

पुलिस अधीक्षक, यातायात
जनपद सहारनपुर।

दिनांक 06.11.2026

-प्रेस नोट-

"ऑपरेशन सवेरा"

"नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर"

थाना नागल पुलिस द्वारा अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वाला 01 शातिर नशा तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से 22 ग्राम अवैध स्मैक बरामद

*अवगत कराना है कि श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र, सहारनपुर द्वारा परिक्षेत्र सहारनपुर में मादक पदार्थों /नशे के अवैध कारोबार, प्रतिबंन्धित दवाओं की तस्करी, बिक्री पर प्रभावी रोकथाम के लिए ठोस एवं समन्वित कार्यवाही हेतु परिक्षेत्र सहारनपुर के तीनों जनपदो में **"ऑपरेशन सवेरा" – "नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर"** अभियान चलाया जा रहा है।*

*इसी क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री राधेश्याम यादव के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 06.11.2026 को पुलिस टीम द्वारा चैकिंग व गश्त के दौरान अभियुक्त **शाहरूख पुत्र माजिद नि0 ग्राम उमाही थाना नागल जनपद सहारनपुर** को ग्राम कोटा से लाला के बाग की ओर को जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 22 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुई। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना नागल पर मु0अ0सं0 338/26 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया। अभियुक्त उपरोक्त के मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के संबंध में FORWARD AND BACKWARD लिंको की जाँच की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

शाहरूख पुत्र माजिद नि0 ग्राम उमाही थाना नागल जनपद सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण:-

- *22 ग्राम अवैध स्मैक*

गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 513/25 धारा 305(ए)/317(2) बीएनएस थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।
2. मु0अ0सं0 669/25 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।
3. मु0अ0सं0 1054/25 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. *प्रभारी निरीक्षक श्री राधेश्याम यादव थाना नागल जनपद सहारनपुर।*
2. *उ0नि0 संजय कुमार थाना नागल जनपद सहारनपुर।*
3. *है0का0 1195 मशकूर चौधरी थाना नागल जनपद सहारनपुर।*
4. *का0 811 दीपक कुमार थाना नागल जनपद सहारनपुर।*

-प्रेस नोट-

दिनांक 06-11-2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/पोक्सो एक्ट कक्ष संख्या- 15 जनपद सहारनपुर द्वारा दुष्कर्म व पोक्सो एक्ट के मुकदमें में अभियुक्त को 20 वर्ष का कठोर कारावास व 22 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सुनाई गई सजाः–

अवगत कराना है कि दिनांक 02.11.2020 को वादी की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्त सागर पुत्र पप्पन निवासी ग्राम चौरा खुर्द थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर द्वारा वादी की नाबालिक पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले जाने की सूचना पर मु0अ0सं0-325/2020 धारा-363/376 भादवि व 4 पोक्सो एक्ट थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर पर पंजीकृत कराया गया। उपरोक्त अभियोग एसटी नं0- 167/2021 पर माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/पोक्सो एक्ट कक्ष संख्या- 15 जनपद –सहारनपुर में विचाराधीन रहा।

*वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जनपद सहारनपुर के निर्देशन में **OPERATION CONVICTION** में चिन्हित मॉनिटरिंग सैल द्वारा की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासों के चलते माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/पोक्सो एक्ट कक्ष संख्या- 15 जनपद सहारनपुर द्वारा **आज दिनांक 06.11.2026 को अभियुक्त सागर पुत्र पप्पन निवासी चौरा खुर्द थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर को मु0अ0सं0-325/2020 धारा-363/376 भादवि व 4 पोक्सो एक्ट में दोषी पाते हुए 20 वर्ष का कठोर कारावास व 22,000 रुपये के जुर्माने से** दण्डित किया गया।*

***शासकीय अधिवक्ता-** (एडीजीसी) श्रीमति चंचल पुण्डीर ।*
***विवेचक-** IPS श्री सय्यद अली अब्बास।*
***पैरोकार-** है0का0 अमरीश कुमार थाना गागलहेडी सहारनपुर।*